"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 1 अप्रैल 2016 — चैत्र 12, शक 1938

गृह विभाग
(सी-अनुभाग)
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-313/गृह-सी/2014. — शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) की धारा -2 के खंड 8 के उप-खण्ड (ग) तथा (घ) सहपठित भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्र. एस. ओ. 1285, दिनांक 04 मई, 1963 तथा मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 (क्र. 28 सन् 2000) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा "इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर एलपीजी बॉटलिंग प्लांट, नियर महामाया स्पंज, एससीआईडीसी, सिलतरा, फेस-1, बिलासपुर रोड, रायपुर छत्तीसगढ़" को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए इस आधार पर "प्रतिषिद्ध स्थान" घोषित करती है कि उसके संबंध में जानकारी या उसका विनाश या उसमें बाधा या उसके साथ हस्तक्षेप शत्रु के लिए उपयोगी होगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2016

क्रमांक एफ 4-313/गृह-सी/2014. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-03-2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरूण देव गौतम, सचिव.

Naya Raipur, the 29th March 2016

NOTIFICATION

No. F-4-313/Two/Home-C/2014 — In exercise of the powers conferred by Sub-clause (c) and (d) of clause 8 of Section 2 of the Official Secrets Act, 1923 (No. 19 of 1923), read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification No. S. O. 1285, dated 4th May, 1963 and Madhya Pradesh Re-organisation Act, 2000 (No. 28 of 2000), the Government of Chhattisgarh, hereby, declares the "Indian Oil Corporation Limited, Raipur LPG Bottling Plant, Near Mahamaya Sponge, SCIDC, Siltara, Phase-1, Bilaspur Road, Raipur, Chhattisgarh" to be a "PROHIBITED PLACE" for the purposes of the said Act on the ground that information with respect thereto, or the destruction or obstruction thereof, or interference therewith, would be useful to an enemy.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ARUN DEV GOUTAM, Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.